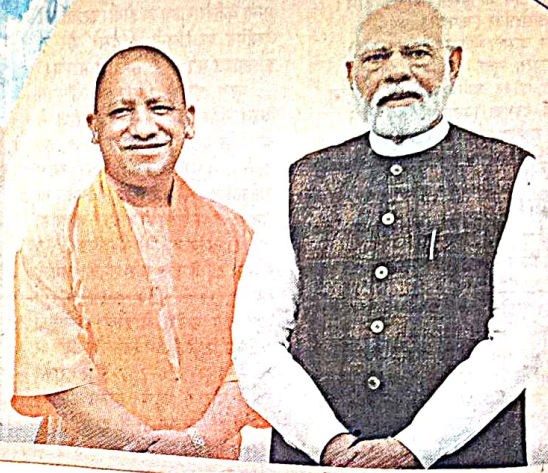
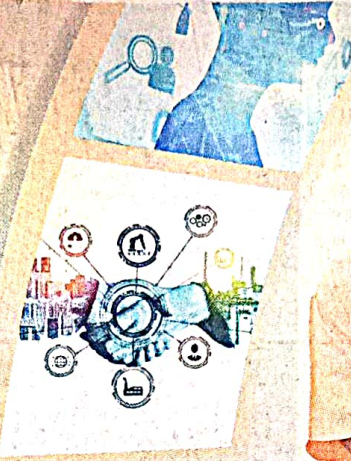




उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान

2025-26



विधा एवं कार्यक्षेत्र

कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, ग्राम विकास आदि

से संबंधित क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले ख्यातिलब्ध महानुभावों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान' से सम्मानित किया जायेगा

निर्धारित प्रारूप पर भरे हुए आवेदन-पत्र संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से अग्रेषित करवाकर संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ-226001 के पते पर
दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025 | समय: सायं 05:00 बजे तक अवश्य भेज दें

आवेदन-पत्र, निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दिये जा सकते हैं

ऑनलाइन आवेदन ई-मेल : gauravsamman2026@gmail.com पर भेजें

सम्मान हेतु अर्हताएं

1

आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए

2

विभिन्न विधाओं/क्षेत्रों के ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध अथवा सम्मानप्राप्त महानुभाव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, दीर्घकालीन साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो

3

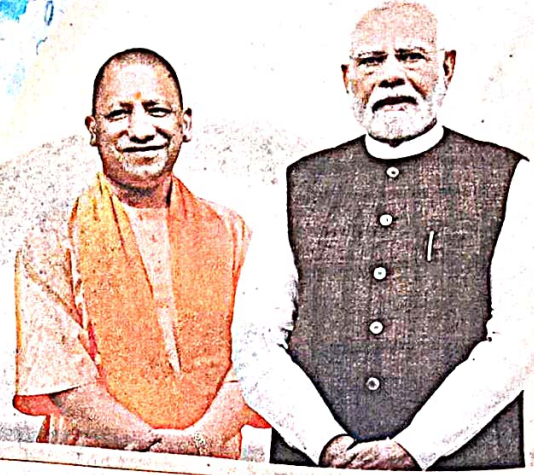
ऐसे महानुभाव, जिन्होंने देश-विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो

4

राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतया इस सम्मान की पात्रता की परिधि में नहीं रखा जायेगा

उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान

2025-26



विधा एवं कार्यक्षेत्र

कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, ग्राम विकास आदि

से संबंधित क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले ख्यातिलब्ध महानुभावों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान' से सम्मानित किया जायेगा

निर्धारित प्रारूप पर भरे हुए आवेदन-पत्र संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से अग्रेषित करवाकर

संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ-226001 के पते पर

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025 | समय: सायं 05:00 बजे

तक अवश्य भेज दें

आवेदन-पत्र, निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दिये जा सकते हैं

ऑनलाइन आवेदन ई-मेल : gauravsamman2026@gmail.com पर भेजें

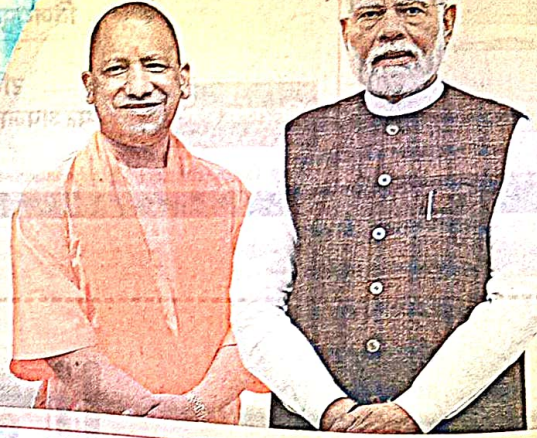
सम्मान हेतु अर्हताएं

- 1 आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
- 2 विभिन्न विधाओं/क्षेत्रों के ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध अथवा सम्मानप्राप्त महानुभाव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, दीर्घकालीन साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो
- 3 ऐसे महानुभाव, जिन्होंने देश-विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो
- 4 राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतया इस सम्मान की पात्रता की परिधि में नहीं रखा जायेगा



उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान

2025-26



विधा एवं कार्यक्षेत्र

कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, ग्राम विकास आदि

से संबंधित क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले ख्यातिलब्ध महानुभावों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान' से सम्मानित किया जायेगा

निर्धारित प्रारूप पर भरे हुए आवेदन-पत्र संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से अग्रेषित करवाकर

संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ-226001 के पते पर

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025 | समय: सायं 05:00 बजे

तक अवश्य भेज दें

आवेदन-पत्र, निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दिये जा सकते हैं

ऑनलाइन आवेदन ई-मेल : gauravsamman2026@gmail.com पर भेजें

सम्मान हेतु अर्हताएं

1

आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए

3

ऐसे महानुभाव, जिन्होंने देश-विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो

2

विभिन्न विधाओं/क्षेत्रों के ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध अथवा सम्मानप्राप्त महानुभाव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, दीर्घकालीन साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो

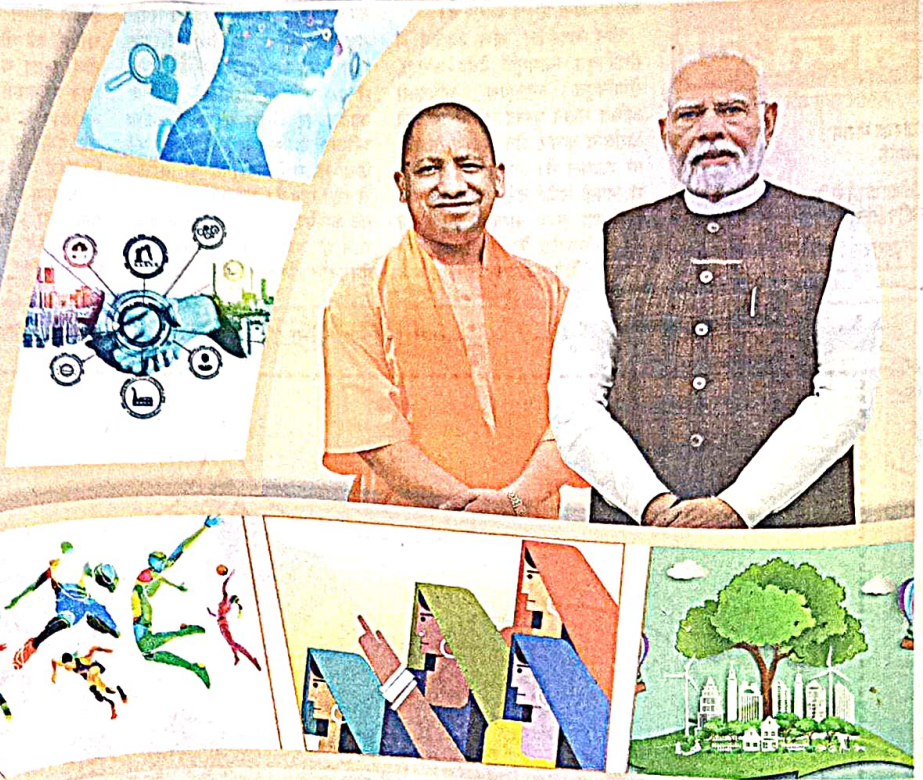
4

राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतया इस सम्मान की पात्रता की परिधि में नहीं रखा जायेगा



उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान

2025-26



विधा एवं कार्यक्षेत्र

कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, ग्राम विकास आदि

से संबंधित क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले ख्यातिलब्ध महानुभावों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान' से सम्मानित किया जायेगा

निर्धारित प्रारूप पर भरे हुए आवेदन-पत्र संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से अग्रेषित करवाकर
संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ-226001 के पते पर
दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025 | समय: सायं 05:00 बजे
तक अवश्य भेज दें

आवेदन-पत्र, निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों
माध्यमों से दिये जा सकते हैं

ऑनलाइन आवेदन ई-मेल : gauravsamman2026@gmail.com पर भेजें

सम्मान हेतु अर्हताएं

1

आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए

3

ऐसे महानुभाव, जिन्होंने देश-विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो

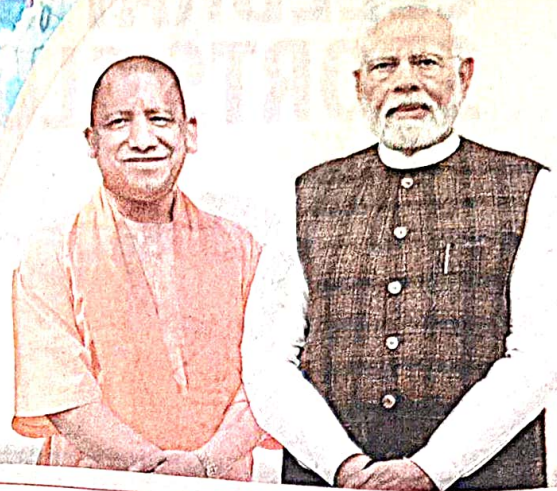
2

विभिन्न विधाओं/क्षेत्रों के ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध अथवा सम्मानप्राप्त महानुभाव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, दीर्घकालीन साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो

4

राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतया इस सम्मान की पात्रता की परिधि में नहीं रखा जायेगा

2025-26



कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, ग्राम विकास आदि

से संबंधित क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले ख्यातिलब्ध महानुभावों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान' से सम्मानित किया जायेगा

निर्धारित प्रारूप पर भरे हुए आवेदन-पत्र संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से अग्रेषित करवाकर संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ-226001 के पते पर

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025 | समय: सायं 05:00 बजे

तक अवश्य भेज दें

आवेदन-पत्र, निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दिये जा सकते हैं

ऑनलाइन आवेदन ई-मेल : gauravsamman2026@gmail.com पर भेजें

सम्मान हेतु अर्हताएं

1

आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए

2

विभिन्न विधाओं/क्षेत्रों के ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध अथवा सम्मानप्राप्त महानुभाव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, दीर्घकालीन साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो

3

ऐसे महानुभाव, जिन्होंने देश-विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो

4

राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतया इस सम्मान की पात्रता की परिधि में नहीं रखा जायेगा



उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान

2025-26



विधा एवं कार्यक्षेत्र

कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, ग्राम विकास आदि

से संबंधित क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले ख्यातिलब्ध महानुभावों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान' से सम्मानित किया जायेगा

निर्धारित प्रारूप पर भरे हुए आवेदन-पत्र संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से अग्रेषित करवाकर
संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ-226001 के पते पर
दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025 | समय: सायं 05:00 बजे
तक अवश्य भेज दें

आवेदन-पत्र, निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों
माध्यमों से दिये जा सकते हैं

ऑनलाइन आवेदन ई-मेल : gauravsamman2026@gmail.com पर भेजें

सम्मान हेतु अर्हताएं

1

आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए

3

ऐसे महानुभाव, जिन्होंने देश-विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो

2

विभिन्न विधाओं/क्षेत्रों के ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध अथवा सम्मानप्राप्त महानुभाव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, दीर्घकालीन साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो

4

राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतया इस सम्मान की पात्रता की परिधि में नहीं रखा जायेगा